## नियम 132 : साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति

(1) [1][प्राधिकारी] [2][मुनाफाखोरी–निरोधी महानिदेशालय] को किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रयोग करने के लिए या धारा 70 के अधीन कोई अन्य चीज़ के लिए आवश्यक है, के लिए उचित अधिकारी समझा जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अधीन सिविल न्यायालय की दशा में यथा उपबंधित, उसी रीति में जांच की शक्ति होगी।**(2)** उपनियम (1) में निर्दिष्ट सभी ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 228 और 193 के अर्थ के अंतर्गत ''न्यायिक कार्यवाहियां'' समझी जाएं।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 29/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा ''रक्षोपाय महानिदेशालय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।